पदे अधिवक्ता द्वारा प्रा० पत्र
17 CPC अन्तर्गत नि. 3 के
किया गया। जो 270/20
वास्ते आइंदा कार्यवाही हेतु
हो। तहसीलदार रिपोर्ट
2023 से होना प्राप्त

(2)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः—236 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 88 आर.टी.ए.

शांतिदेवी उर्फ विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी भुनावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— वादी

बनाम्

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

— प्रतिवादी

उपस्थित :—

1. श्री भवानी सिंह निर्वाण — अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार प्रतिवादी

—ःनिर्णयः—

दिनांक 7.3.24

अधिवक्ता वादिया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 10 एमडी खाता सं. 49 / 10 प.न. 154 / 327 के मु.न. 16 में कुल 1.771 है. में हिस्सा 443 / 1771 भूमि वादिया के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थिया के पति की मृत्युपरांत वादिया को जरिये विरासतन प्राप्त हुई।

उक्त वाद पत्र जैरकारी के दौरान वादिया ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के अलावा वादिया के नाम अन्य चक 13 एनडी खाता सं. 25 / 15 कुल रकबा 3.289 में हिस्सा 1 / 5 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त दोनों खातों की जमाबंदिया शामिल पत्रावली है।

वाद पत्र में निवेदन किया गया है कि उक्त दोनों खातों में वादिया का नाम विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप दर्ज है जो कि गलत है जबकि वादिया का सही नाम शांतिदेवी है जिसे वादिया जरिये घोषणा शांतिदेवी उर्फ विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप करवाने की अधिकारिणी है।

वादिया के राशन कार्ड, आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र में शांतिदेवी पत्नी रामप्रताप अंकित है। इसलिए वादिया का नाम शांतिदेवी उर्फ विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप दर्ज करवाया जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ से तस्दीकी रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार हनुमानगढ ने अपने पत्रांक भू.अ. / 2023 / 1728 दिनांक 19.05.2023 में अंकित किया है कि पटवार हल्का भुनावाली की रिपोर्ट अनुसार शांतिदेवी व विद्यादेवी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। चित्रप्रति बैंक पास बुक आरएमजीबी खाता सं. 83008951870, पहचान पत्र सं. एमसीजी 1511344, आधार कार्ड सं. 440246733636 व जनआधार कार्ड सं. 5028205471 में वादिया का नाम शांति अंकित है। परिवार राशन कार्ड सं. 006786300020 में वादिया का नाम शांति देवी उर्फ विद्या देवी अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत भुन्नावाली ढाणी द्वारा जारी प्रमाण दिनांक 25.01.22 में विद्या पत्नी रामप्रताप व शांति पत्नी रामप्रताप जाति कुम्हार एक ही महिला के नाम की तस्दीक की है। इसलिए वादिया वाद मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—ःःक्रियात्मक आदेशःः—

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है कि:— चक 10 एमडी खाता सं. 49 / 10 प.न. 154 / 327 के मु.न. 16 में कुल 1.771 है. हिस्सा 443 / 1771 व चक 13 एमडी खाता सं. 25 / 15 कुल रकबा 3.289 में हिस्सा 1 / 5 में खातेदार विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप की जगह **शांतिदेवी उर्फ विद्यादेवी पत्नी रामप्रताप दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है।** इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर हो। इसी अनुतोष को लेकर विचाराधीन अन्य वाद पत्र 270 / 2020 अनवान ... बनाम स्टेट खारिज कर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.3.24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:44 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

7/3/24

वादिया व्यक्तिशः हाजिर आई। पत्रावली अवलोकन किया गया। वाद पत्र में तहसीलदार मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी। श्री मि रहे। लंबित प्रा. पत्र 06 R 17 CPC न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। मुताबिक अनुतोष वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शा. पत्रावली किया गया। एक अन्य समान्तर वाद पत्र 270/202.. समान अनुतोष शा. मि. कर दोनों पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।